

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 26 सितम्बर, 2023

आहरण एवं वितरण अधिकारी,

राज्य कर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, फतेहगढ़, आगरा, मैनपुरी, एटा, बिजनौर, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, अयोध्या, गोण्डा, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गाजियाबाद, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बलरामपुर, कन्नौज, काशीराम नगर, मुख्यालय लखनऊ ।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-“2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय- आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान” के अधीन श्री राजेश्वर मिश्र, राज्य कर अधिकारी, राज्य कर खण्ड-19 वाराणसी को उनकी पत्नी के इलाज में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विशेष परिस्थितियों के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जाता है।

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराये ।

यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या-02 पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।



(महा मिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर

उत्तर प्रदेश लखनऊ

पृ0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1:-उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0,कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी )-प्रथम,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(महा मिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर

उत्तर प्रदेश लखनऊ





